भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

रक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3138

09 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

रक्षा विभाग की भूमि पर अतिक्रमण

3138. श्री सौमित्र खानः

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विभाग की अतिक्रमण के अधीन रक्षा भूमि का स्थान-वार तथा पश्चिम बंगाल सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त भूमि से अतिक्रमण न हटाए जाने के क्या कारण् हैं;

(ग) क्या ये अतिक्रमण संबंधित राज्य के प्राधिकारियों की मिलीभगत से किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन अनियमितताओं और अवैध कृत्यों को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क) : संपूर्ण देश में 18 लाख एकड़ की रक्षा भूमि में से, लगभग 10354 एकड़ रक्षा भूमि अतिक्रमण के अधीन है। पश्चिम बंगाल राज्य सहित रक्षा भूमि पर किए गए अतिक्रमण का राज्य-वार ब्योरा अनुबंध के रूप में संलग्न है।

(ख) : अतिक्रमण की पहचान करना, इसकी रोकथाम करना और इसे हटाना एक सतत प्रक्रिया है। रक्षा भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने का कार्य सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 और छावनी अधिनियम, 2006 के उपबंध के अंतर्गत किया जाता है।

(ग) और (घ) : जी, नहीं। रक्षा भूमि के अतिक्रमण में राज्य सरकार के प्राधिकारियों की कोई मिलीभगत नहीं पाई गई है। तथापि, कुछ रक्षा भूमि, कार्यालयों अथवा सार्वजनिक उपयोग की सुविधाओं के लिए राज्य सरकार की कुछ एजेंसियों के अधिभोग में है।

(ङ) : रक्षा भूमि की अतिक्रमण से संरक्षा करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

(i) संबंधित कार्यालयों द्वारा रक्षा भूमि का नियमित निरीक्षण किया जाता है और नियमानुसार, उनके द्वारा वार्षिक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

(ii) जब कभी अतिक्रमणों की पहचान की जाती है, उन्हें पुलिस प्राधिकारियों और जिला प्रशासन के समन्वयन से उचित विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए अतिक्रमण-रोधी अभियानों द्वारा हटाया जाता है।

(iii) रक्षा भूमि रिकार्डों का डिजिटलीकरण किया गया है।

(iv) एक भू-प्रबंधन प्रणाली बनाई गई है जिसमें अतिक्रमण के जीआईएस स्तरों को विकसित किया गया है जो एक अवधि के दौरान किए गए अतिक्रमणों से संबंधित सूचना प्रदान करते हैं और नए अतिक्रमणों की रोकथाम में सहायता करते हैं।

(v) वर्ष 2011-12 से रक्षा भूमि लेखापरीक्षा को एक सतत प्रक्रिया के रूप में संस्थागत बनाया गया है।

(vi) रक्षा भूमि पर अतिक्रमण के "खतरे" का मूल्यांकन करने के लिए एक कार्यप्रणाली तैयार की गई है। खतरे के आकलन के आधार पर संबंधित अधिकारियों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की सूचना फील्ड कार्यालयों को दी जाती है।

(vii) सामान्यजन द्वारा रक्षा भूमि पर किए जाने वाले अतिक्रमणों की सूचना प्रदान करने के लिए डीजीडीई वेबसाइट पर फरवरी 2020 में एक अतिक्रमण मॉड्यूल शुरू किया गया है।

(viii) सरकार ने कुछ अति संवेदनशील रक्षा भूमि पॉकेटों के चारों तरफ चारदीवारी/बाड़/खंभों के निर्माण के लिए निधि का आबंटन किया है।

"रक्षा विभाग की भूमि पर अतिक्रमण" के बारे में लोक सभा में दिनांक 09.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 3138 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्र (एकड़ में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	24.07
2	आंध्र प्रदेश	49.0215
3	अरूणाचल	77.985
4	असम	462.3127
5	बिहार	529.548
6	छत्तीसगढ़	75.9
7	दिल्ली	147.5745
8	गोवा	5.1166
9	गुजरात	212.8499
10	हरियाणा	780.0094
11	हिमाचल प्रदेश	59.5369
12	झारखंड	302.522
13	कर्नाटक	168.4736
14	केरल	1.717
15	लक्षद्वीप	0.08
16	मध्य प्रदेश	1757.979
17	महाराष्ट्र	1031.02
18	मणिपुर	5.6478
19	मेघालय	13.3402
20	मिजोरम	0.003
21	नागालैंड	356.1
22	ओड़िशा	50.935
23	पंजाब	451.0075
24	राजस्थान	478.1285
25	सिक्किम	64.844
26	तमिलनाडु	153.321
27	तेलंगाना	97.1986
28	उत्तर प्रदेश	1778.915822
29	उत्तराखंड	61.3916
30	जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र	311.8692
31	लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र	29.581
32	पश्चिम बंगाल	816.0484
	कुल	10354.04772

*****